(252) (128)

नि/निग0/रीवा/भू-रा0/2018/0832

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर, सर्किट कोर्ट रीवा (म0प्र0)

विलोपित / विलोपित विलोपित / विलोपित विलोपित / विलोपित

1– शैलेन्द्र गिरि पिता जयराम गिरि

2– नागेन्द्र गिरि पिता जयराम गिरि

दोनो निवासी ग्राम दुबिया, थाना शाहपुर, तहसील हनुमना, जिला रीवा (म0प्र0) ———अपीलांटगण

बनाम

गिरीश गिरि तनय श्री रसिक गिरि, निवासी ग्राम दुबिया, थाना शाहपुर, तहसील हनुमना, जिला रीवा (म0प्र0) ————रेस्पाडेन्ट

निगरानी विरूद्ध आदेश दिनांक 23/12/17 जारी प्रकरण क0–254/अपील/16–17 अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू राजस्व संहिता सन् 1959 ई0

अधि0 श्री रामप्रकाश शुक्ला द्वारा पेश / 02.2.18

क्लर्क आफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म0 प्र0 ग्वालियर
(सर्किट कोर्ट) रीवा

मान्यवर,

<u>आधार निगरानी निम्नलिखित है :–</u>

1– यह कि प्रश्नास्पद आदेश दिनांक 23/12/17 विधि विधान के प्रतिकूल होने से अपास्त योग्य है ।

2– यह कि द्वितीय अपीलीय न्यायालय में अपील स्वीकार कर प्रकरण वापस करने में विधिक भूल की है, वस्तुतः ऐसा करने की अधिकारिता उन्हे कानूनन प्राप्त ही नही है । प्रकरण वापस न कर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर प्रकरण का निराकरण करना चाहिए था ना कि प्रकरण वापस करना चाहिए भू–राजस्व संहिता में हुए संशोधन के फलस्वरूप प्रकरण रिमाण्ड ही किया जाना चाहिए ।

3– यह कि जब दो न्यायालयों के निष्कर्ष समवर्ती हो तो तीसरे न्यायालय को उस पर हस्ताक्षेप नही किया जाना चाहिए, इस प्रकरण में हस्ताक्षेप कर विधिक त्रुटि की गई है ।

शैलेन्द्र गिरि

रामप्रकाश शुक्ला एडवो0

1

रा०/निग०/रीवा/भू-रा०/2018/0832

(128)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

क्रमांक रा०/निग० रीवा/18/0832 जिला– रीवा

शैलेन्द्र गिरि विरूद्ध गिरीश गिरि

(1)	(2)	(3)
16.1.19.	1. आवेदक की ओर से श्री रामप्रकाश शुक्ला अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी कमिश्नर/अपर कमिश्नर, रीवा संभाग रीवा के प्रकरण क्रमांक 254/अपील/2016-17 में पारित आदेश दिनांक 23.12.17 के विरूद्ध इस न्यायालय में दिनांक 02.02.18 प्रस्तुत की गयी है। 2. म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत निगरानी सुनने की अधिकारिता इस न्यायालय को नहीं है। अतः आवेदक को सक्षम न्यायालय में आवदेन प्रस्तुत करने हेतु मूलतः वापस किया जाता है। निगरानी की छायाप्रति प्रकरण के साथ रखी जाये। 3. इस न्यायालय का प्रकरण समाप्त किया जाता है, तत्पश्चात प्रकरण दा.द. हो। सदस्य	

रामप्रकाश शुक्ला एडवो०